

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 741/2023
अनवान : -

1. यश चाचाण पुत्र हीरालाल चाचाण जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. रोहित चाचाण पुत्र नत्थुराम चाचाण जाति महाजन जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. रामचन्द्र पुत्र दूर्गादेवी पत्नी बंशीधर (पुत्र दुर्गा देवी) जाति महाजन निवासी फेफाना हाल नोहर तहसील नोहर।
2. नत्थुराम पुत्र रामचन्द्र जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. आभा चाचाण पत्नी हीरालाल चाचाण जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. रिद्धि चाचाण पुत्री हीरालाल चाचाण नाबालिग जरिये माता आभा चाचाण पत्नी हीरालाल जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. मधु मित्तल उर्फ मोहनी पुत्री रामचन्द्र जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. शकुन्तला गोयल पुत्री रामचन्द्र जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. ललिता देवी गोयल पुत्री रामचन्द्र जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 27/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 104/106 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.2530 है० भूमि एवं रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 474/390 के कुल खसरे 59 का कुल क्षेत्रफल 11.8910 है० भूमि एवं रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 76/76 के कुल खसरे 16 का कुल क्षेत्रफल 2.1740 है० में से 1979/2171 हिस्सा व खाता संख्या 77/77 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.7590 है० भूमि एवं रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 92/92 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.8350 है० व खाता संख्या 44/43 के कुल खसरे 55 का कुल क्षेत्रफल 9.0420 है० भूमि में से 253/9743 हिस्सा एवं रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-74 के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खाता संख्या 81/91 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 0.7590 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 8/91 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 0.2530 है0 भूमि प्रतिवादीया संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात By Birth Right हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वयोवृद्ध व्यक्ति है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पुत्रों व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है प्रतिवादीया संख्या 4 जो कि वादी संख्या 1 की बहिन व प्रतिवादी संख्या 3 की पुत्री है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपनी माता व बहिन के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 5 ता 7 जो कि वादीगण की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों व भाई के वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 7 का उपरोक्त भूमि के कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग वादीगण व प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि बाबत समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 104/106 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.2530 है0 भूमि पर वादी संख्या 1 अकेला काबिज है तथा रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 474/390 के कुल खसरे 59 का कुल क्षेत्रफल 11.8910 है0 भूमि के प0 नं0 327/365 (451) के किला नं. 4 की 0.253 है0, 5/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/2 की 0.215 है0, 6/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 6/2 की 0.215 है0, 7 की 0.253 है0 व प0 नं0 328/363 (428) के किला नं. 10, 11, 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 है0 व प0 नं0 328/364 (445) के किला नं. 1/1 की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 1/2 की 0.0240 है0, 2/1 की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 2/2 की 0.0240 है0, 9 ता 12, 18 ता 23 प्रत्येक की 0.2530 है0 भूमि पर वादी संख्या 1 काबिज है व इस खाते की शेष भूमि पर वादी संख्या 2 काबिज है तथा रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 76/76 के कुल खसरे 16 का कुल क्षेत्रफल 2.1740 है0 भूमि में से 1979/2171 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 77/77 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.7590 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है एवं रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 92/92 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.8350 है0 भूमि व खाता संख्या 44/43 के कुल खसरे 55 का कुल क्षेत्रफल 9.7420 है0 भूमि में से 253/9743 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है एवं रोही मौजा 1 केएनएन के खाता संख्या 81/91 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 0.7590 है0 में से प0 नं0 356/372 (31) के किला नं. 18 की 0.253 है0 भूमि पर वादी संख्या 2 काबिज है एवं प0 नं. 356/372 (31) के किला नं. 21, 22 की 0.506 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है एवं रोजी मौजा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1 केएनएन के खाता संख्या 8/91 की 0.253 है0 भूमि पर वादी संख्या 2 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी स0 1 ता 2 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नहीं है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुनील कटारिया ने वकालतनामा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 को कोई एतराज नहीं है। वादी ने वाद के समर्थन में नई जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र पेश किया जो की शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के दादा के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 1, 4 ता 7 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 104/106 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.2530 है0 भूमि एवं रोही मौजा 3 बाराणी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 474/390 के कुल खसरे 59 का कुल क्षेत्रफल 11.8910 है0 भूमि एवं रोही

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 76/76 के कुल खसरे 16 का कुल क्षेत्रफल 2.1740 है० में से 1979/2171 हिस्सा व खाता संख्या 77/77 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.7590 है० भूमि एवं रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 92/92 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.8350 है० व खाता संख्या 44/43 के कुल खसरे 55 का कुल क्षेत्रफल 9.7420 है० भूमि में से 253/9743 हिस्सा एवं रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-74 के खाता संख्या 81/91 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 0.7590 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 8/91 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 0.2530 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।


क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 104/106 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.2530 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 474/390 के कुल खसरे 59 का कुल क्षेत्रफल 11.8910 है० भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प० नं० 327/365 (451) के किला नं. 4 की 0.253 है०, 5/1 की 0.038 है० गै० मु० रास्ता, 5/2 की 0.215 है०, 6/1 की 0.038 है० गै० मु० रास्ता, 6/2 की 0.215 है०, 7 की 0.253 है० व प० नं० 328/363 (428) के किला नं. 10, 11, 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 है० व प० नं० 328/364 (445) के किला नं. 1/1 की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, 1/2 की 0.0240 है०, 2/1 की 0.013 है० गै० मु० रास्ता, 2/2 की 0.0240 है०, 9 ता 12, 18 ता 23 प्रत्येक की 0.2530 है० भूमि वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खाते की शेष भूमि वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 76/76 के कुल खसरे 16 का कुल क्षेत्रफल 2.1740 है० भूमि में से 1979/2171 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 77/77 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.7590 है० भूमि दोनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 92/92 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.8350 है0 भूमि व खाता संख्या 44/43 के कुल खसरे 55 का कुल क्षेत्रफल 9.7420 है0 भूमि में से 253/9743 हिस्सा भूमि देनो खातो में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 1 केएनएन के खाता संख्या 81/91 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 0.7590 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से प0 नं0 356/372 (31) के किला नं. 18 की 0.253 है0 भूमि वादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे एवं प0 नं. 356/372 (31) के किला नं. 21, 22 की 0.506 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 1 केएनएन के खाता संख्या 8/91 की 0.253 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 (आभा पत्नी हीरालाल) का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 741/2023

अनवान : –

1. यश चाचाण पुत्र हीरालाल चाचाण जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. रोहित चाचाण पुत्र नत्थुराम चाचाण जाति महाजन जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामचन्द्र पुत्र दूर्गादेवी पत्नी बंशीधर (पुत्र दुर्गा देवी) जाति महाजन निवासी फेफाना हाल नोहर तहसील नोहर।
2. नत्थुराम पुत्र रामचन्द्र जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. आभा चाचाण पत्नी हीरालाल चाचाण जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. रिद्धि चाचाण पुत्री हीरालाल चाचाण नाबालिग जरिये माता आभा चाचाण पत्नी हीरालाल जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. मधु मित्तल उर्फ मोहनी पुत्री रामचन्द्र जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. शकुन्तला गोयल पुत्री रामचन्द्र जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. ललिता देवी गोयल पुत्री रामचन्द्र जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 741 सन 2023 निर्णय दिनांक 21/12/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 8 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 104/106 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.2530 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 3 बरानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 474/390 के कुल खसरे 59 का कुल क्षेत्रफल 11.8910 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 327/365 (451) के किला नं. 4 की 0.253 है0, 5/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/2 की 0.215 है0, 6/1 की 0.038 है0 गै0 मु0 रास्ता, 6/2 की 0.215 है0, 7 की 0.253 है0 व प0 नं0 328/363 (428) के किला नं. 10, 11, 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 है0 व प0 नं0 328/364 (445) के किला नं. 1/1 की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 1/2 की 0.0240 है0, 2/1 की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 2/2 की 0.0240 है0, 9 ता 12, 18 ता 23 प्रत्येक की 0.2530 है0 भूमि वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खाते की शेष भूमि वादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 76/76 के कुल खसरे 16 का कुल क्षेत्रफल 2.1740 है0 भूमि में से 1979/2171 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 77/77 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.7590 है0 भूमि दोनो खातो में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 12 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 92/92 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 0.8350 है0 भूमि व खाता संख्या 44/43 के कुल खसरे 55 का कुल क्षेत्रफल 9.7420 है0 भूमि में से 253/9743 हिस्सा भूमि देनो खातो में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 1 केएनएन के खाता संख्या 81/91 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 0.7590 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से प0 नं0 356/372 (31) के किला नं. 18 की 0.253 है0 भूमि वादी संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे एवं प0 नं. 356/372 (31) के किला नं. 21, 22 की 0.506 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 1 केएनएन के खाता संख्या 8/91 की 0.253 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 (आभा पत्नी हीरालाल) का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर